

आदेश संख्या-जीएसटी/2017-18/ 02

/वाणिज्य कर


कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०
(जीएसटी अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक: 06 नवम्बर, 2017

:आदेश:

विषय:- प्ररूप जीएसटी आरईजी-26 में आवेदन जमा करने के लिए समय सीमा का विस्तार।

उ०प्र० माल और सेवाकर नियमावली 2017 के नियम 24 के उपनियम (2) के खण्ड (ब) सपठित उ० प्र० माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं आयुक्त, एतदद्वारा, परिषद की सिफारिशों पर, प्ररूप जीएसटी आरईजी-26 में इलेक्ट्रानिक रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अवधि 31 दिसम्बर 2017 तक बढ़ाता हूँ।


(मुकेश कुमार मेश्राम)
आयुक्त राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।